न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 9/2017 (डूंगरपुर डिक्री)

1. लालजी पुत्र कोदरा मीणा, निवासी भीलूड़ा, तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

2. भाणजी पुत्र कालिया मीणा मृतक के बजाय :–

2/1. गटूलाल पुत्र भाणजी मीणा, निवासी भीलूड़ा, तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

2/2. मु. कंकू पुत्री भाणजी मीणा, निवासी भीलूड़ा, तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

2/3. मु. केसर पुत्री भाणजी मीणा, निवासी भीलूड़ा, तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

2/4. कडुआ बेवा भाणजी मीणा, निवासी भीलूड़ा, तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

3. वाला पिता कालिया मीणा, निवासी भीलूड़ा, तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

4. कुरिया पुत्र कुरिया मीणा मृतक के बजाय :–

4/1. धुलजी पुत्र कुरिया मीणा, निवासी भीलूड़ा, तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

5. हुका पुत्र दीता मीणा मृतक के बजाय :–

5/1. पुंजा पिता हुका मीणा, निवासी भीलूड़ा, तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

5/2. गटु पिता हुका मीणा, निवासी भीलूड़ा, तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. मंदिर रघुनाथजी भीलूड़ा द्वारा श्री मोहनलाल शर्मा पुत्र जयशंकर शर्मा, निवासी डूंगरपुर सैकेटरी मंदिर रघुनाथजी ट्रस्ट भीलूड़ा, जिला डूंगरपुर।

2. महिपालसिंह जी, अध्यक्ष श्री लक्ष्मण देवस्थान निधि, डूंगरपुर (राज.)

3. कन्हैयालाल पिता शान्तिलाल सेवक, निवासी भीलूड़ा, तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

..... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी सागवाड़ा
दिनांक 18.04.2017, प्र. सं. 55/09

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1— श्री दिनेश चौबीसा अभिभाषक अपीलान्टगण
2— श्री मोहनलाल पण्डया अभिभाषक रेस्पोन्डेन्टगण

———::———

निर्णय **दिनांक 15—11—2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्टगण द्वारा अपीलान्टगण के विरूद्ध बेदखली एवं हर्जाना प्राप्त करने का वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मंदिर रघुनाथजी कस्बा भीलूड़ा में स्थित है। मंदिर तथा मंदिर में विराजमान मूर्ति की देख—रेख हेतु महारावल साहब की ओर से श्री लक्ष्मण देवस्थान निधि द्वारा वादी श्री दाडमचन्द को मैनेजर नियुक्त किया गया है तथा श्री कन्हैयालाल पिता शान्तिलाल इसके पुजारी हैं, जो प्रतिदिन मंदिर की सेवा पूजा करते हैं। वाद पत्र की कलम संख्या 3 वर्णित कुल किता 37 रकबा 40 बीघा 4 बिस्वा भूमि मंदिर की सेवा पूंजा हेतु शान्तिलाल जी को दी गयी थी। प्रतिवादीगण उक्त आराजियात पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता कोदरा को मंदिर के पुजारी शान्तिलाल ने आधे भाग को कमाने के लिए दी थी बाद में अन्य प्रतिवादीगण भी कोदरा की उक्त आराजियात पर काबिज हो गये। मंदिर की आराजियात में काश्तकार को कोई स्वत्व अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, मंदिर की जायदाद मंदिर की सेवा पूजा एवं धर्मार्थ कार्य के लिए होती है। आराजियात से प्राप्त आमदनी से मंदिर की सेवा पूंजा होती है। प्रतिवादी काफी समय से उक्त आराजियात की उपज का हिस्सा वादी कन्हैयालाल को नहीं देते हैं, फिर भी कन्हैयालाल मंदिर की सेवा पूंजा करता है। बिना पारिश्रमिक प्राप्त किये मंदिर की सेवा पूंजा संभव नहीं है। अतएवं वादग्रस्त भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर कब्जा वादी को

दिलाया जावे एवं उपज का हर्जाना 30,000/– रूपये एवं कब्जा सिपुर्द नहीं करने तक 10,000/– रूपये वादी को दिलाया जावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि मंदिर की खातेदारी की होना स्वीकार है, किन्तु पुजारी शान्तिलाल को आराजियात दिया जाना स्वीकार नहीं है। उक्त आराजियात पर प्रतिवादीगण का उनके पूर्वजों के समय से कब्जा चला आ रहा है। रियासत डूंगरपुर के समय में जब लगान कुतां की शक्ल में (Rent in Kind) जागीरदार माफीदार वसूल करते थे तथा कुतां प्रतिवादीगण के पूर्वज जमा कराते थे। राजस्थान बनने के बाद प्रतिवादीगण लगान देते थे। दिनांक 02–07–1968 को इसी भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल करने बाद वाद संख्या 74/68 फैसल दिनांक 22–11–1971 को पेश हुआ था तथा वाद का अंतिम निर्णय प्रतिवादीगण के पक्ष में हुआ एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध बेदखली की डिक्री पारित नहीं की गयी। प्रतिवादीगण उपज का आधा भाग नहीं देते हैं न कोई प्राप्त कर सकता है। विशेष विवरण में बताया कि मुकदमा नंबर 74/68 दिनांक 22–11–1971 अंतिम निर्णय प्रतिवादीगण के पक्ष में हुआ है। रेसज्यूडीकेटा के सिद्धान्त से यह वाद अब पक्षकारों के बीच नहीं चल सकता है।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्लीडिंग्स के आधार पर निम्नानुसार 4 तनकियात कायम की गयी :–

1. आया श्री दाडमचन्द गांधी को देवस्थान निधि डूंगरपुर द्वारा मन्दिर रघुनाथ जी भीलूड़ा के लिए मैनेजर नियुक्त किया है एवं वाद पेश करने के हकदार हैं ? ..... वादी
2. आया श्री कन्हैयालाल पिता शान्तिलाल सेवक मन्दिर के जायज पुजारी हैं और वाद लाने के हकदार हैं ? ..... वादी
3. प्रतिवादीगण मौजा भीलूड़ा के खाता संख्या 680 श्री रघुनाथजी महाराज के उपकृषक हैं। यदि हां तो किस संवत् से एवं किस आधार से उपकृषक बने हैं ? ..... प्रतिवादी
4. दादरसी ?

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों की पेश शुदा साक्ष्य सबूत के आधार पर अपने निर्णय दिनांक 27–03–1995 से वादी का वाद किया,

जिससे रूष्ट होकर वादीगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 16–10–1995 को खारिज कर दिया।

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय के विरूद्ध वादीगण द्वारा माननीय राजस्व मण्डल में निगरानी प्रस्तुत की गयी, जिसमें माननीय राजस्व मण्डल ने दिनांक 08–08–2007 को निर्णय पारित करते हुए वादीगण की निगरानी स्वीकार करते हुए अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 16–10–1995 को अपास्त कर दिया एवं प्रकरण पुनः विधिवत सुनवाई कर निर्णय करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिप्रेषित किया।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा माननीय राजस्व मण्डल के आदेश के क्रम में प्रकरण पुनः 55/2009 दिनांक 20–01–2009 को दर्ज कर उभयपक्षों की पेश शुदा साक्ष्य सबूत के आधार पर अपने निर्णय दिनांक 18–04–2017 से वादीगण का वाद स्वीकार करते हुए बेदखली की डिक्री पारित की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट प्रतिवादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 16–05–2017 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्टगण की ओर से वकील श्री मोहनलाल पण्डया उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस अपीलान्ट अभिभाषक ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को ही पुनः वक्त बहस दोहराते हुए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट द्वारा प्रकरण में प्रमुख उजर यह लिया गया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है। अधिनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों से परे जाकर वादीगण वाद डिक्री करने में भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय में केवल वादीगण की साक्ष्य का उल्लेख किया है तथा राजस्व रेकार्ड पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। अधिनस्थ न्यायालय ने माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 02–08–2007 का ध्यान पूर्वक

अवलोकन नहीं किया है, जिसमें आदेश दिया गया कि प्रार्थीगण के नजरसानी प्रार्थना पत्र पर पुनः सुनवाई करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करते हुए उपखण्ड अधिकारी सागवाड़ा को प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाता है। किन्तु उपखण्ड अधिकारी ने नजरसानी के निर्णय में केवल मात्र रेसज्यूडीकेटा की अतिरिक्त तनकी कायम कर नजरसानी प्रार्थना पत्र को निस्तारित कर दिया। दिनांक 11–02–2014 को जिस रूप में नजरसानी प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया गया उसी अनुरूप अतिरिक्त तनकी पर साक्ष्य लेकर अधिनस्थ न्यायालय को अंतिम निर्णय करना था, क्योंकि नजरसानी प्रार्थना पत्र पर दिये गये आदेश दिनांक 11–02–2014 को वादीगण ने किसी अपीलीय अथवा निगरानी न्यायालय में चुनौती नहीं दी थी, इस कारण वह आदेश अंतिम हो गया था। रेस्पोन्डेन्ट/वादीगण ने अपने नजरसानी प्रार्थना पत्र में हर्जाना राशि बाबत् किसी प्रकार का कथन नहीं किया था और न ही किसी प्रकार की राहत नजरसानी प्रार्थना पत्र में मांगी थी और न ही आदेश दिनांक 11–02–2014 में हर्जाना बाबत् कोई आदेश ही दिया गया था फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने विधि एवं अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर वादीगण को प्रतिवादीगण से अत्यधिक हर्जाना राशि दिलाने के अवैध आदेश पारित कर दिया, जो निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने नये सिरे से सभी तनकियों पर जो निष्कर्ष प्रदान किये है, वे दोष पूर्ण हैं किन्तु फिर भी एक बार के लिए तनकी नंबर 1 व 2 का निर्णय वादीगण के पक्ष में करना दोनों पक्षों द्वारा स्वीकार कर भी लिया जाये तो भी मूल वाद डिक्री योग्य नहीं रहता है, क्योंकि तनकी नंबर 3 एवं अतिरिक्त तनकी को प्रतिवादीगण ने प्रदर्श ए.1 व ए.2 से बखूबी अपने पक्ष में साबित कराया है। इस प्रकार उपरोक्त सभी आधारों पर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्ये है।

→ हमारे द्वारा पत्रावली के रेकार्ड का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया तो पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मूल वाद संख्या 67/88 में अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 27–03–1995 से वादीगण का वाद खारिज कर दिया था तथा प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीवार ही निर्णय पारित किया गया है। आश्चर्य जनक रूप से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना प्रतिदावे के अपीलान्ट को खातेदार घोषित कर दिया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रिव्यू का निर्णय दिनांक

16–10–1995 को खारिज कर दिया, जिसके क्रम में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 02–08–2007 को प्रकरण में अतिरिक्त तनकी रेसज्यूडीकेटा पर कायम कर निर्णय पारित करने के अधिनस्थ न्यायालय को निर्देश दिये। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नजरसानी पर अपने निर्णय दिनांक 11–02–2014 में अपने पूर्व नजरसानी निर्णय दिनांक 16–10–1995 को अपास्त नहीं किया है, जो स्पष्टतया एक विधिक त्रुटि है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने नजरसानी के पूर्व निर्णय दिनांक 27–03–1995 के क्रम में पुनः सिर्फ एक अतिरिक्त तनकी कायम की। हम अपीलान्ट के इस तर्क से तो सहमत हैं कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 16–10–1995 के अपने निर्णय को राजस्व मण्डल द्वारा अपास्त करने के बाद पुनः नजरसानी याचिका में अपने मूल वाद संख्या 67/88 के निर्णय में अपास्त नहीं किया है, बल्कि सिर्फ एक अतिरिक्त तनकी और कायम कर दी है, जबकि अधिनस्थ न्यायालय के लिए यह लाजमी था कि यदि वे पुनः तनकीवार फाईडिंग देते तथा उन्हें अपने पूर्व निर्णय दिनांक 27–03–1995 को अपास्त कर ही तनकीवार पुनः निर्णय पारित करना चाहिए था। अधिनस्थ न्यायालय ने पुनः तनकी नंबर 1, 2, 3 पर जो निर्णय पारित किया है, वह अपने पूर्व निर्णय को अपास्त किये बिना पारित किया है। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय ने पूर्व में हालांकि तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया है, परन्तु फिर भी पूर्व निर्णय को निरस्त किया जाना वांछनीय था।

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 व 2 का जो निर्णय किया है उसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं, क्योंकि वह मूलतः राजस्व रेकार्ड से संबंधित हैं तथा उपलब्ध साक्ष्यों के अनुरूप हैं। प्रकरण में जहां तक तनकी नंबर 3 का प्रश्न है, अधिनस्थ न्यायालय द्वारा किये गये विवेचन में उन्हें उपकृषक नहीं माने जाने का जो निर्णय किया है वह भी धारा 5 (25) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुरूप किया है। प्रकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तनकी संख्या 4 है, जो रेसज्यूडकेटा बाबत् है कि ''आया वादी का दावा पूर्व निर्णय (रेसज्यूडीकेटा) से बाधित है।'' प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष माननीय राजस्व मण्डल के निर्देशानुसार उक्त तनकी पर ही निर्णय पारित किया जाना सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रदर्श ए.1 व ए.2 जो दस्तावेज प्रस्तुत हुए हैं, उनमें प्रदर्श ए.1 इन्हीं आराजियात बाबत्

इन्हीं पक्षकारों के मध्य प्रकरण संख्या 74/68 में पारित निर्णय है जिसमें अपीलान्ट/प्रतिवादीगण को बेदखल किये जाने के आदेश दिये गये हैं तथा प्रदर्श ए.2 राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर के प्रकरण संख्या 295/71 में पारित निर्णय दिनांक 02–08–1975 में जिसमें प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय से उपखण्ड अधिकारी के प्रकरण संख्या 74/68 को अपास्त करते हुए यह आदेश दिया है कि अपीलान्ट खातेदार काश्तकार नहीं होकर उपकृषक ही रहेंगे और खातेदार मंदिर श्री रघुनाथ जी को नियमानुसार रेन्ट आदि देते रहेंगे।

प्रकरण संख्या 295/71 निर्णय दिनांक 02–08–1975 में पारित निर्णय की कोई अपील अथवा उक्त निर्णय का किसी स्तर पर परिवर्तित होने की कोई साक्ष्य रेस्पोन्डेन्ट/वादीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं की गयी है अर्थात उक्त निर्णय अंतिम निर्णय है। अधिनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पोन्डेन्ट द्वारा उक्त निर्णय का उल्लेख किये बिना नया वाद प्रस्तुत कर दिया है जो वादी की सदाशयता को प्रश्नांकित करता है। किसी भी वादी को न्यायालय में स्वच्छ हाथों से वाद लाना होता है। वकील वादी/रेस्पोन्डेन्ट द्वारा दौराने बहस यह वर्णित किया गया कि हमारे द्वारा पुनः प्रतिवादी/अपीलान्ट द्वारा रेन्ट नहीं दिये जाने के कारण वाद प्रस्तुत किया गया है, परन्तु विचाराधीन अपील एवं वाद में इन तथ्यों का अभाव है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस तनकी के निर्णय में अपीलान्ट/प्रतिवादी द्वारा लीज रेन्ट नहीं जाने के आधार पर रेसज्यूडीकेटा को अमान्य कर दिया है, जबकि वादीगण द्वारा इस बाबत् अपने वाद में कोई उल्लेख नहीं किया गया है तथा पूर्व में हुए निर्णय का भी उल्लेख नहीं किया है तो अब पुनः इन तथ्यों को किसी आधार पर नहीं उठाया जा सकता है। प्रकरण में अपीलीय न्यायालय के प्रकरण संख्या 295/71 निर्णय दिनांक 02–08–1975 की विवेचना अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं की गयी है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अधिकतम मुआवजे आदि का ही निस्तारण कर सकता था ताकि नाबालिग मंदिर के हितों की संरक्षा की जा सके, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस ज्यूडीकेटा के तथ्यों पर औचित्य पूर्ण फाईडिंग देने के स्थान पर बेदखली का जो आदेश पारित किया है वह पुनः उभयपक्षों को सुनकर हमारे उपरोक्त प्रेक्षणों को दृष्टिगत रखते निर्णय किये जाने का मोहताज है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का तनकी नंबर 4

पर किया गया विवेचन प्रथम दृष्टया तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटि पूर्ण है तथा पुनः निर्णय किये जाने की वांछना रखता है।

अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 18–04–2017 अपास्त की जाती है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि हमारे द्वारा उपरोक्त किये गये विवेचन को दृष्टिगत रखते हुए तनकी नंबर 4 रेसज्यूडीकेटा के बिन्दु पर उभयपक्षों को पुनः सुनकर हस्ब रेकार्ड निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 15–01–2019 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 15–11–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

भोगीलाल पिता खेमजी सुथार, नि0 चितरी, तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर बनाम **मोतीलाल मृतक के बजाय चुन्नीदेवी पत्नी मोतीलाल सुथार, नि0 चितरी तह. सागवाड़ा जिला डूंगरपुर व अन्य**

अपील नं.....**246 / 2011**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**सागवाडा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....10**.....माह.....**06**.....**2011**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**24**.....माह.....**08**.....सन् **2016** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी...**श्री शैलेष भण्डारी** ....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री दिनेश चौबीसा**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 10–06–2011 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**24**.....माह.....**08**.....**2016** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।